Khasra No 407, 409 & 410 (4B) original Sale deed Khasra No 407, 409 & 410

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14 JUN 2006

विक्रय विलेख का वांछित विवरण

1. विलेख पत्र का प्रकार :- विक्रय पत्र

2. प्रतिफल :- रु0 1,75,69,546-00(एक करोड पिचहत्तर लाख उनहत्तर हजार पांच सौ छियालीस रुपये)

3. बाजारी मालियत :- रु0 1,75,69,546-00(एक करोड पिचहत्तर लाख उनहत्तर हजार पांच सौ छियालीस रुपये)

4. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य सूची से मालियत:- रु0 1,20,00,000-00(एक करोड बीस लाख रुपये)

5. वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्यसूची के अनुसार मूल्यांकन में अन्तर(Difference):- रु0 55,69,546-00(पचपन लाख उनहत्तर हजार पांच सौ छियालीस रुपये)

6. कुल वांछित स्टाम्प शुल्क:- रु0 10,35,000-00(दस लाख पैंतीस हजार रुपये)

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

२९८ 23/08

10

मैसर्स इंडियन ... लि० के ... सा० ... रामपुर

रुड़की जिला हरिद्वार

समायोजन प्रमाणपत्र

[illegible]

[illegible]

[illegible]

स्टै० नं० 1008 [illegible]

समायोजन किया गया। [illegible] रुड़की का

[illegible]

धारा 16 भा० स्टा० अधि० 1999

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

7.	अनुबन्ध पत्र के समय अदा स्टाम्प शुल्क:-	रु0 10,98,500-00(दस लाख अठ्ठानवे हजार पाँच सौ रुपये)
8.	वर्तमान में अदा स्टाम्प शुल्क:-	वांछित स्टाम्प शुल्क से अधिक का स्टाम्प शुल्क अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय क्रेता द्वारा अदा किया जा चुका है। फिर भी वर्तमान में रु0 200-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
9.	स्टाम्प सीटों की संख्या :-	20 सीट
10.	क्या क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबन्ध हुआ है:-	क्रेता एवं विक्रेता के मध्य विक्रीत भूमि का अनुबन्ध पत्र उपनिबन्धक कार्यालय द्वितीय रुडकी में दिनांक 20-03-2008 को निष्पादित कर बही नम्बर 1, जिल्द 273, पृष्ठ 193 से 222 में नम्बर 1386 पर दिनांक 20 मार्च 2008 को पंजीकृत है।
11.	भूमि क्रय करने का प्रयोजन:-	विक्रीत भूमि वर्तमान में कृषि भूमि है परन्तु औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की रही है।
12.	मुख्य मार्ग से दूरी:-	विक्रीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग रुडकी-दिल्ली से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है तथा गांव के मुख्य मार्ग से 1किमी0 की दूरी पर है।
13.	<u>विवरण सम्पत्ति</u>:-	भूमि खाता संख्या 99 खसरा संख्या 407 जिसका क्षेत्रफल 0.1880 हैक्टेयर व खाता 203 खसरा संख्या 409 क्षेत्रफल 0.5170 हैक्टेयर व खाता संख्या 81 खसरा संख्या 410 क्षेत्रफल 0.4950 हैक्टेयर कुल तीन खेत कुल क्षेत्रफल 1.200 हैक्टेयर स्थित ग्राम मुन्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

For Milic Electronics Ltd.

प्रलेख नः 3,297

ALE (IMMOVABLE) 17,569,546.00 मालियत (स्टाम्प दिया गया)

ALE AFTER AGREEMENT

रजिस्ट्रेशन फीस	पेस्टिंग शुल्क	Electronic Processing Fee	कुल योग
5,000.00	20.00	420.00	5,440.00

श्री / श्रीमती / कुमारी मके इलैक्टोनिक्स लि0 (द्वारा राजेश राधा क्रष्णण)

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री पी0आर0नायर

निवासी मके इलैक्टोनिक्स लि0खसरा नं0 158 रायपुर परगना भगवानपुर तसहील रुडकी

ने आज दिनॉक 04-Aug-2008 समय 3:33:45PM

कार्यालय उप निबन्धक SRO Roorkee 02

में प्रस्तुत की।

उपनिबंधक SRO Roorkee 02

इस लेखपत्र का निष्पादन सुन व समझकर व विकय धन / अग्रिम धन / नगद रू0 17,569,546.00 लेखानुसार प्राप्त करके श्री मदनपाल शर्मा s/o विशम्बर दत्त सहाय , मुण्डियाकी परगना मंगलौर तहसील रुडकी

ने स्वीकार किया ।

व सम्पादन श्री मके इलैक्टोनिक्स लि0 (द्वारा राजेश राधा क्रष्णण)s/o पी0आर0नायर , मके इलैक्टोनिक्स लि0खसरा नं0 158 रायपुर परगना भगवानपुर तसहील रुडकी

ने किया ।

जिसकी पहचान .....

श्री एस0के0शुक्ला पुत्र श्री डी0आर0शुक्ला

निवासी खसरा नं0158 रायपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री स्व0चौ0श्याम सिंह

निवासी 35- सिविल लाइन रुडकी

ने की ।

उपनिबंधक SRO Roorkee 02

उपनिबंधक SRO Roorkee 02

दस रुपये रु.10 TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

14 JUL 2008

14. वार्षिक भू-राजस्व:- रू0 60-90 जिसके आठ सौ गुणा से मालियत रू0 48,720/- बनती है।

15. स्टाम्प शुल्क हेतु स्पष्ट विवरण:- यह कि जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के पृष्ठ 31, कमांक 28 के अनुसार कृषि भूमि की दर रू0 12,25,000-00 प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। परन्तु भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। जिसकी दर पृष्ठ 40, कमांक 1 के अनुसार रू0 1000-00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। जिसके अनुसार विक्रीत भूमि की मालियत रू0 1,20,00,000-00(एक करोड बीस लाख रुपये) बनती है। परन्तु वास्तविक प्रतिफल रू0 1,75,69,546-00(एक करोड पिचहत्तर लाख उन्हत्तर हजार पांच सौ छियालीस रुपये) का क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबन्ध पत्र के अनुसार निर्धारित है। वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के अनुसार मालियत में रू0 55,69,546-00(पचपन लाख उन्हत्तर हजार पांच सौ छियालीस रुपये) का अन्तर (Difference) है। इसलिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **74(1)/XXVII(9) Stamp/2008 issued by Uttarakhand State Government dated 25.4.2008** के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मूल्यांकन पर 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क एवं अन्तर(Diffrence) पर 3.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क निम्न प्रकार अदा किया जा रहा है।

अ. वास्तविक प्रतिफल:- रू0 1,75,69,546-00(एक करोड पिचहत्तर लाख उन्हत्तर हजार पांच सौ छियालीस रुपये)

ब. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मालियत:- रू0 1,20,00,000-00(एक करोड बीस लाख रुपये) पर 7 प्रतिशत की दर से रू0 8,40,000-00 (आठ लाख चालीस हजार रुपये) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

स. अन्तर(Difference):- रू0 55,69,546-00(पचपन लाख उन्हत्तर हजार पांच सौ छियालीस रुपये) पर 3.5 प्रतिशत की दर से रू0 1,94,950-00(एक लाख चौरानवे हजार

For Miro ......

Authorised Signat..

जिला

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये — TEN RUPEES

रु.10 — Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

द. कुल स्टाम्प शुल्क-

दो सौ पचास रुपये) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

रु0 10,35,000-00(दस लाख पैंतीस हजार रुपये अपेक्षित है। परन्तु क्रेता द्वारा अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय रु0 10,98,500-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया हुआ है। इसलिये वर्तमान में कोई स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नही है। फिर भी रु0 200-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

16. भूमि आवास एवं विकास शुल्क की सीमा से बाहर है।

17. विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नही है।

18. विक्रीत भूमि पट्टे की भूमि नही है।

19. चकबन्दी चल रही है अथवा नही- नहीं

20. क्रेता उत्तराखण्ड राज्य से बाहर की कम्पनी है, जिसने भूमि क्रय करने से पूर्व उ0प्र0(उत्तराखण्ड) ज0वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(क) की अनुमति संख्या 414भू0क्य/18(2)/2007-01(50)/2008 दिनांक 17-06-2008ई0 को प्राप्त कर ली है। जिसकी प्रति संलग्न है।

21. यह कि क्रेता विक्रीत भूमि अनुमति प्राप्त करने के बाद क्रय कर रहा है तथा उद्योग स्थापित करने के बाद नियमानुसार 70 प्रतिशत नियमित रोजगार सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगो को उपलब्ध करायेगा।

22. विक्रय पत्र के बाद क्रेता विक्रीत भूमि में विशेष श्रेणी का संक्रमणीय भूमिधर बन रहेगा।

For MHS ...

Authorised Signatory

258 .... 25/1/09

10

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

-5-

23. विक्रेता का नाम व पता :- **श्री मदनपाल शर्मा पुत्र विशम्बर दत्त सहाय** निवासी ग्राम **मुण्डियाकी** परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) विक्रेता कृषक है तथा स्थाई लेखा सं0 नहीं है। **प्रारुप 61 संलग्न** है।

24. क्रेता-कम्पनी का नाम व पता:- **मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड**, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाउस, जी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा **अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णण**, पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड, कम्पनी का स्थाई लेखा संख्या **AAACM8055A** है।

विक्रय विलेख

यह विक्रय-विलेख आज दिनांक 24-07-2008 **को स्थान रुड़की, जिला हरिद्वार में मदन पाल शर्मा पुत्र** श्री विशम्भर दत्त सहाय निवासी ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) (जिसको इस विलेख में विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है)।

---विक्रेता

तथा

मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाउस, जी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत **प्रतिनिधि श्री राजेश** राधा कृष्णण, पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड (जिसको इस विलेख में क्रेता-कम्पनी कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया गया।

--- क्रेतागण

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

२०८ २३/७/०८

[illegible]

[illegible] उड्की जिला [illegible]

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

जैसा कि ग्राम मुन्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 के अर्न्तगत कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी के व्यवस्था से आच्छादित हो गया, उक्त अधिनियम की धारा-27 (1) के अर्न्तगत विधिवत राजस्व अभिलेखों का निर्माण हुआ तथा धारा 27 (2) के अर्न्तगत उक्त राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियाँ सत्य व ठीक तथा प्रमाणित मानी जावेगी।

और जैसा कि श्री आशा राम पुत्र श्री छोटू इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी, भूमिधर व अध्यासी रहे है। क्षेत्र में चकबन्दी की व्यवस्था होने पर 1397 फसली में प्रथम चकबन्दी की व्यवस्था हुयी और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा-27 सपठित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954 के नियम 97 के अर्न्तगत श्री आशा राम पुत्र श्री छोटू का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ।

और जैसा कि 1397 फसली से पूर्व श्री आशा राम पुत्र श्री छोटू का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा और उनका पुरातन खसरा संख्या-770(मि0) खसरा संख्या-771/1 (मि0), खसरा संख्या-771/2 (मि0) अंकित रहे और यह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-407 बना जो इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति के नाम से पहचाने गये।

और जैसा कि फसली वर्ष 1397 से पूर्व श्री आशा राम पुत्र श्री छोटू का नाम अभिलेखित था। इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति फसली वर्ष 1400-1405 में श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री रामजी लाल के नाम अंकित हुआ।

और जैसा कि श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री रामजी लाल ने इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति विक्रेता श्री मदन पाल शर्मा पुत्र श्री विशम्भर दास सहाय को विक्रय विलेख दिनांक 27-04-2006 के द्वारा विक्रीत कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की में बही संख्या-1, जिल्द संख्या- 195 के पृष्ठ संख्या- 201 एडीशनल फाईल बुक संख्या-1 जिल्द संख्या- 451 के पृष्ठ संख्या- 113 से 118 पर प्रपत्र संख्या-2274 पर दिनांक 27-04-2006 को पंजीकृत है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर विक्रेता मदन पाल शर्मा का नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत फसली वर्ष 1412 से 1417 में आदेश दिनांक 08-06-2006 को अंकित हो गया।

और जैसा कि इस प्रकार विक्रेता श्री मदन पाल शर्मा इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी/ अध्यासी / भूमिधर है।

258 23/7/09

102

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

-7-

और जैसा कि श्री धीर सिंह पुत्र श्री खजान सिंह इस विलेख की सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी, भूमिधर व अध्यासी रहे है। क्षेत्र में चकबन्दी की व्यवस्था होने पर 1397 फसली में प्रथम चकबन्दी की व्यवस्था हुयी और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा-27 सपठित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954 के नियम 97 के अन्तर्गत श्री धीर सिंह पुत्र श्री खजान सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों मे अंकित हुआ।

और जैसा कि 1397 फसली से पूर्व श्री धीर सिंह पुत्र श्री खजान सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा और उनका पुरातन खसरा संख्या-760(मि0) खसरा संख्या-761(मि0), खसरा संख्या-770(मि0) अंकित रहे और यह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-409 बना जो इस विलेख की सूची-ख मे वर्णित सम्पत्ति के नाम से पहचाने गये।

और जैसा कि फसली वर्ष 1397 से पूर्व श्री धीर सिंह पुत्र श्री खजान सिंह का नाम अभिलेखित था। इस विलेख की सूची-ख मे वर्णित सम्पत्ति फसली वर्ष 1400-1405 मे श्री सुनील कुमार पुत्र श्री धीर सिंह के नाम अंकित हुआ।

और जैसा कि श्री सुनील कुमार पुत्र श्री धीर सिंह ने इस विलेख की सूची-ख मे वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष श्री मदन पाल शर्मा पुत्र श्री विशम्भर दत्त सहाय को विक्रय विलेख दिनांक 27-04-2006 के द्वारा विक्रीत कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की मे बही संख्या-1, जिल्द संख्या- 195 के पृष्ठ संख्या- 201 एडीशनल फाईल बुक संख्या-1, जिल्द संख्या- 451 के पृष्ठ संख्या- 125 से 130 पर प्रपत्र संख्या-2276 पर दिनांक 27-04-2006 को पंजीकृत है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर विक्रेता श्री मदन पाल शर्मा का नाम राजस्व अभिलेखों मे विधिवत फसली वर्ष 1412 से 1417 में आदेश दिनांक 08-06-2006 को अंकित हो गया।

और जैसा कि इस प्रकार विक्रेता श्री मदन पाल शर्मा इस विलेख की सूची-ख मे वर्णित सम्पत्ति के स्वामी/ अध्यासी / भूमिधर है।

और जैसा कि 1- श्री रामजी लाल पुत्र श्री रती राम 2- श्री सुरज मल पुत्र रती राम इस विलेख की सूची-ग में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी, भूमिधर व अध्यासी रहे है। क्षेत्र में चकबन्दी की व्यवस्था होने पर 1397 फसली में प्रथम

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

23/7/08

जिला

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

-8-

चकबन्दी की व्यवस्था हुयी और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा-27 सपठित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी
नियमावली 1954 के नियम-97 के अन्तर्गत 1- श्री रामजी लाल पुत्र श्री रती राम 2- श्री सुरज मल पुत्र रती राम का नाम
राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ।

और जैसा कि 1397 फसली से पूर्व 1- श्री रामजी लाल पुत्र श्री रती राम 2- श्री सुरज मल पुत्र रती राम का नाम
राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा और उनका पुरातन तथा खसरा संख्या-753(मि0), खसरा संख्या-758(मि0), खसरा
संख्या-759(मि0), खसरा संख्या-760(मि0), खसरा संख्या-761(मि0), खसरा संख्या-762(मि0), खसरा संख्या-784(मि0)
अंकित रहे और यह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-410 बना जो इस विलेख की सूची-ग में वर्णित सम्पत्ति है, के नाम से
पहचाने गये।

और जैसा कि फसली वर्ष 1397 से पूर्व 1- श्री रामजी लाल पुत्र श्री रती राम 2- श्री सुरज मल पुत्र रती राम का
नाम अभिलेखित था। इस विलेख की सूची-ग में वर्णित सम्पत्ति फसली वर्ष 1400-1405 में श्री सूरज मल पुत्र श्री रती राम
के नाम अंकित हुआ।

और जैसा कि श्री सूरज मल पुत्र श्री रती राम का देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी 1-
श्री धर्म पाल सिंह 2- श्री हर पाल सिंह तथा 3- श्री प्रेम पाल सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में, फसली वर्ष 1400 से 1405
में राजस्व भू-लेख अधिकारी, मंगलौर, रुड़की, जिला हरिद्वार के आदेश दिनांक 08-03-1991 के द्वारा परिवर्तित हुआ।

और जैसा कि श्री धर्म पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री सूरज मल का देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके
उत्तराधिकारी 1- श्रीमती इन्द्रेश धर्मपत्नी स्व0 श्री धर्म पाल का नाम राजस्व अभिलेखों में, फसली वर्ष 1400 से 1405 में राजस्व
भू-लेख अधिकारी, मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के आदेश दिनांक 09-07-1991 के द्वारा परिवर्तित हुआ।

और जैसा कि श्री हर पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री सूरज मल का देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके
उत्तराधिकारी 1- श्री देवन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री हर पाल सिंह 2- श्री अनुज कुमार पुत्र स्व0 श्री हर पाल सिंह का नाम राजस्व

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अभिलेखों में, फसली वर्ष 1400 से 1405 में राजस्व भू-लेख अधिकारी, मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के आदेश दिनांक 09-07-1991 के द्वारा परिवर्तित हुआ।

और जैसा कि श्रीमती इन्द्रेश धर्मपत्नी स्व0 श्री धर्मपाल ने अपने भाग की सम्पत्ति 1-मास्टर संदीप कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार तथा 2- मास्टर कुलदीप कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार द्वारा संरक्षक श्री सुनील कुमार को विक्रीत कर दी और 1-मास्टर संदीप कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार तथा 2- मास्टर कुलदीप कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार द्वारा अपने पिता एवं संरक्षक श्री सुनील कुमार का नाम फसली वर्ष 1406 से 1411 में राजस्व भू-लेख अधिकारी, मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के आदेश दिनांक 05-08-2002 के द्वारा परिवर्तित हुआ।

और जैसा कि श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हरपाल सिंह का देहान्त हो गया। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी 1- मास्टर सन्नी पुत्र स्व0 देवेन्द्र कुमार द्वारा अपनी माता एवं संरक्षिका श्रीमती कोविन्ता 2- श्रीमती कोविन्ता धर्मपत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार का नाम राजस्व अभिलेखों में, फसली वर्ष 1412 से 1417 में राजस्व भू-लेख अधिकारी, मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के आदेश दिनांक 04-09-2006 के द्वारा परिवर्तित हुआ।

और जैसा कि 1- प्रेम पाल सिंह पुत्र स्व० श्री सूरज मल 2- मास्टर सन्नी पुत्र स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार 3- श्रीमती कोविन्ता धर्मपत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार 4- श्री अनुज कुमार पुत्र स्व0 श्री हरपाल 5- श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार 6- श्री संदीप कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार ने अपने-अपने भाग की सम्पत्ति कि जो इस विलेख की सूची-ग में वर्णित किया गया है, प्रथम पक्ष श्री मदन पाल शर्मा को विक्रय विलेख दिनांक 27-04-2006 के द्वारा विक्रीत कर दी। जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की में बही संख्या-1, जिल्द संख्या- 195 के पृष्ठ संख्या- 201 एडीशनल फाईल बुक संख्या 1 जिल्द संख्या- 451 के पृष्ठ संख्या- 119 से 124 पर प्रपत्र संख्या-2275 पर दिनांक 27-04-2006 को पंजीकृत है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार विक्रेता श्री मदन पाल शर्मा पुत्र श्री विशम्भर दत्त सहाय का नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत फसली वर्ष 1412 से 1417 में आदेश दिनांक 18-08-2006 को अंकित हो गया।

For Mirc Electronics Ltd. Uttarai

Authorised Sign

…शासक

रुड़की जिला हरिद्वार

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

14 JUL 2008

और जैसा कि इस प्रकार विक्रेता श्री मदन पाल शर्मा इस विलेख की सूची-ग में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी/ अध्यासी / भूमिधर है।

और जैसा कि विक्रेता उपरोक्त विक्रय विलेखों के आधार पर इस विलेख की सूची-क व सूची-ख व सूची-ग में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी / अध्यासी / भूमिधर है।

और जैसा कि क्रेता-कम्पनी ने इस विलेख की सूची-'क', 'ख' व 'ग' में वर्णित सम्पत्ति को क्रय करने हेतु श्री राजेश राधा कृष्णन, पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर, भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है तथा उनके पक्ष में प्रस्ताव दिनांक 27-12-2007 पारित कर रखा है।

और जैसा कि विक्रेता का स्वामित्व इस विलेख की सूची-'क', 'ख' व 'ग' में वर्णित सम्पत्ति के विषय में पवित्र है तथा विक्रेता के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची-'क', 'ख' व 'ग' में वर्णित सम्पत्ति किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में ग्रहित नहीं है। सम्पत्ति स्पष्ट स्वामित्व की है। इस सम्पत्ति पर कोई भार, अधिभार, बन्धन धरोहर व गिरवी तथा ऋण नहीं है। यह सम्पत्ति किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेता को इस विलेख की सूची-'क', 'ख' व 'ग' में वर्णित सम्पत्ति विक्रीत करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

और जैसा कि क्रेता-कम्पनी इस विलेख की सूची-'क', 'ख' व 'ग' में वर्णित सम्पत्ति को **अंकन 1,75,69,546/- रूपये (एक करोड़ पिचहत्तर लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ छियालीस रूपये मात्र)** की धनराशि में क्रय करने को तैयार है और विक्रेता इस विलेख की सूची-'क', 'ख' व 'ग' में वर्णित सम्पत्ति को उपरोक्त धनराशि में विक्रीत करने को तैयार है।

मदन पाल

For Mirc Electronics Ltd.

७६८ 23.7/08
102